भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष / Phone : 91-11-25074100/25074200
फैक्स / Fax : 91-11-25093507 / 25093514

NHAI/Policy Guidelines/ Guidelines for site inspection of projects using PMIS App. and uploading the site photographs /2017

No. 6.19/2017, Dated the 16th November, 2017

(Decision taken on File No. NHAI/ PMIS/Project Monitoring/2017)

Sub: **Guidelines for site inspection of projects using PMIS App. and uploading the site photographs** - Reg.

NHAI is developing infrastructure across the country by constructing 4/6 National Highways under various modes such as BOT/EPC/PPP/Hybrid Annuity and Bharat Mala etc. But the targeted progress is not being achieved due to lack of supervision and inspection by the field units. Therefore, it has been desired by Chairman, NHAI that following guidelines may be followed for site inspection using PMIS App for effective monitoring of construction activities at site and site photographs may be uploaded:

(A) Periodicity of site inspection:

(i) The PDs should visit every project site at least once in 15 days.

(ii) The ROs at least once in 30 days.

(iii) The Member at their discretion as per need of the project.

(B) Guidelines for use of PMIS App:

(i) Once RO/PD reach the project site, they should **check in** using the PMIS App, which will register their location along with latitude/longitude of the place and time of check in.

(ii) The site visiting officers should upload at least three latest site photographs.

(iii) The site visiting officer can interact with the concerned technical divisions and seek clarifications using the PMIS App.

(iv) All the inputs, communications and photographs will be stored on the PMIS database against the respective project for record purposes.

2. This issues with the approval of Competent Authority.

(A.K. Sadhu)
Chief General Manager (Coordination)

To

All Officers and Employees of HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.
Hindi Officer for translation in Hindi.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष / Phone : 91-11-25074100/25074200
फैक्स / Fax : 91-11-25093507 / 25093514

भाराराप्रा/नीतिगत दिशा-निर्देश/पीएमआईएस ऐप के प्रयोग से परियोजना साइटों का निरीक्षण और साइट फोटोग्राफ अपलोड करने हेतु दिशा-निर्देश/2017

सं.6.19/2017 दिनांक 16 नवम्बर, 2017

(फाइल सं.एनएचएआई/पीआईएमएस/प्रोजैक्ट मानीटरिंग/2017 पर लिया गया निर्णय)

विषय: पीएमआईएस ऐप के प्रयोग से परियोजना स्थलों का निरीक्षण और साइट फोटोग्राफ अपलोड करने हेतु दिशा निर्देश के संबंध में ।

भाराराप्रा बीओटी/ईपीसी/पीपीपी/हाइब्रिड एन्युटी और भारत माला इत्यादि जैसी विभिन्न विधियों से देश भर में 4/6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण द्वारा अवसंरचना विकसित कर रहा है । लेकिन फील्ड इकाइयों द्वारा पर्यवेक्षण और निरीक्षण की कमी से लक्षित प्रगति प्राप्त नहीं हो रही है । अत: अध्यक्ष, भाराराप्रा ने चाहा है कि पीएमआईएस ऐप के प्रयोग से साइट पर निर्माण गतिविधियों की प्रभावी मानीटरिंग के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाए और साइट फोटोग्राफ अपलोड किए जाएं :

(क) साइट निरीक्षण की अवधि:

(i) परियोजना निदेशक कम-से-कम 15 दिनों में एक बार प्रत्येक परियोजना साइट का दौरा करें ।

(ii) क्षेत्रीय अधिकारी कम-से-कम 30 दिनों में एक बार परियोजना साइट का दौरा करें ।

(iii) सदस्य परियोजना की आवश्यकतानुसार, अपने विवेक पर ।

(ख) पीएमआईएस ऐप के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश:

(i) क्षेत्रीय अधिकारी/परियोजना निदेशक साइट पर पहुंचने के बाद पीएमआईएस ऐप से जांच करें जो स्थान के अक्षांश/देशांतर और पहुंचने के समय सहित उनकी स्थिति को अंकित करेगा ।

(ii) साइट का दौरा करने वाले अधिकारी साइट की कम-से-कम तीन फोटो अपलोड करें ।

(iii) साइट का दौरा करने वाले अधिकारी पीएमआईएस ऐप के प्रयोग से संबंधित तकनीकी प्रभागों से संपर्क कर सकते हैं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं ।

(iv) संबंधित परियोजनाओं के सभी इनपुट, सूचनाएं और फोटोग्राफ पीएमआईएस डाटाबेस में रिकार्ड हेतु रखे जाएंगे ।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(ए.के. साधु)
मुख्य महाप्रबंधक (समन्वय)

सेवा में,

भाराराप्रा मुख्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी/क्षेत्रीय कार्यालय/परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां/कारीडोर प्रबंधन इकाइयां/ साइट कार्यालय ।